राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड
36वीं बैठक - दिनांक : 23 फरवरी, 2011 का कार्यवृत्त

उत्तराखंड राज्य में स्थित समस्त बैंकों द्वारा विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत दिसम्बर, 2010 तक की प्रगति समीक्षा हेतु राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड की 36वीं बैठक होटल साफ्टेल प्लाजा, सहारनपुर रोड, देहरादून में दिनांक 23 फरवरी, 2011 को आयोजित की गई।

इस बैठक में श्री राजीव गुप्ता, प्रमुख सचिव एवं आयुक्त (एफ.आर.डी.सी.), उत्तराखंड शासन, श्री आलोक कुमार जैन, प्रमुख सचिव (वित्त) एवं आयुक्त (अवस्थापना), उत्तराखंड शासन, श्री राकेश कुमार, सचिव (ग्राम्य विकास), उत्तराखंड शासन, श्री सुनील पंत, मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, नई दिल्ली, डा. अमरेन्द्र साहू, क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक, लखनऊ, श्री वी.एस.बाजवा , महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक, श्री विजेन्द्र शर्मा, महाप्रबंधक, नाबार्ड, श्री राकेश शर्मा, महाप्रबंधक (नेटवर्क - II), भारतीय स्टेट बैंक, दिल्ली मण्डल एवं राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों तथा वाणिज्यिक / ग्रामीण / सहकारी / निजी बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं / निगमों के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा भाग लिया गया।

श्री सुनील पंत, मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक का संबोधन -

श्री सुनील पंत, मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक ने अपना संबोधन प्रारम्भ करते हुए बैठक में श्री राजीव गुप्ता, श्री आलोक जैन, डा. अमरेन्द्र साहू एवं अन्य मंचासीन अतिथियों का अभिनन्दन करते हुए सभी बैंक एवं राज्य सरकार के अधिकारियों का स्वागत किया और राज्य के विकास में उनके योगदान हेतु आभार प्रकट किया। राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड की 36वीं बैठक में सभी बैंकों के दिसम्बर, 2010 की समाप्ति तक की प्रगति की समीक्षा करते हुए सदन को अवगत कराया कि पिछली बैठकों से संबंधित कार्य बिंदुओं में से कई मुद्दों पर कार्य किया गया है और अभी कुछ पर कार्य करना शेष है। संबंधित बैंकों / विभागों से समस्त प्रकरणों का शीघ्र निराकरण करने का भी उन्होंने आग्रह किया।

उन्होंने आगे कहा कि इस वर्ष बैंकों के लिए **वार्षिक ऋण योजना हेतु निर्धारित लक्ष्य ` 5915.41 करोड़**, जोकि पिछले वर्ष के लक्ष्य से 15 % अधिक है, के सापेक्ष ` **3,728 करोड़** की प्राप्ति दर्ज की गई है, जोकि 63 % है और भारतीय रिजर्व बैंक के 65 % मानक के आसपास है। इसमें सबसे अधिक उपलब्धि बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा 73 % और पंजाब नेशनल बैंक द्वारा 70 % किया गया है, परंतु भारतीय स्टेट बैंक जोकि 9 जिलों में अग्रणी बैंक है, का ए.सी.पी. 57 % रहा है। वार्षिक ऋण योजना के अंतर्गत सभी बैकों द्वारा सैक्टरवार उपलब्धि - कृषि (68 %), उद्योग (55 %) व सेवा क्षेत्र (61 %) दर्ज की है। औद्योगिक सैक्टर के लिए सबसे कम निर्धारित लक्ष्य होने के बावजूद उपलब्धि 55 % ही दर्ज की गई। हम सभी बैंकों से अपेक्षा करते हैं कि वे इस दिशा में विशेष ध्यान केंद्रित कर अपने-अपने क्षेत्र के सम्भाव्यताओं (Potential) के अनुरुप लघु उद्योग स्थापित करने हेतु ऋण प्रदान करें। इसी प्रकार उत्तरांचल ग्रामीण बैंक द्वारा भी ए.सी.पी. में मात्र 37 % उपलब्धि दर्ज की गई है जोकि चिन्ता एवं उनके द्वारा विशेष प्रयास करने की आवश्यकता है। हम आशा करते हैं कि मार्च, 2011 की समाप्ति तक सभी बैंक ए.सी.पी. का शत प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे।

उन्होंने कहा कि बैंकों का ऋण-जमा अनुपात पिछले वर्ष की तुलना में थोड़ा बढ़ा है, जोकि दिसम्बर, 2009 में 49.78 % से बढ़कर दिसम्बर, 2010 में 51.75 % हो गया है। बैंकों द्वारा ऋण प्रवाह बढ़ाने पर ही उनकी लाभप्रदत्ता निर्भर करती है। हमारे प्रदेश से बाहर स्थित बैंक शाखाओं द्वारा यहाँ पर ` 4,130 करोड़ के ऋण उपलब्ध कराए जाने से ही राज्य का ऋण-जमा अनुपात बढ़ा है और यदि इसे हटा दिया जाए तो दिसम्बर, 2009 में 42 % की तुलना में दिसम्बर, 2010 में यह 39 % रह जाता है। इसलिए बैंकों द्वारा अपने स्थानीय ऋणों को बढ़ाने की आवश्यकता है। राज्य में जिन बैंकों (**पंजाब एण्ड सिंध बैंक - 22 %, यूको बैंक - 24 %, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया - 25 %, बैंक ऑफ इण्डिया - 24 % एवं इण्डियन ओवरसीज बैंक - 26 %**) का ऋण-जमा अनुपात बहुत कम है जबकि इनकी समुचित संख्या में शाखाएं कार्यरत हैं, उन्हें इस दिशा में विशेष प्रयास करने होंगे।

उन्होंने कहा कि क्रेडिट गारंटी फण्ड ट्रस्ट ऑफ इण्डिया की योजनांतर्गत बैंकों को ` 1 करोड़ तक के कोलेट्रल फ्री औद्योगिक ऋण उदारतापूर्वक प्रदान करना चाहिए क्योंकि इन ऋणों की वसूली में जटिल विधिक प्रक्रिया (Complex Legal Process) नहीं अपनानी पड़ती है। इस योजना के अंतर्गत भारतीय स्टेट बैंक ने 1,231, पंजाब नेशनल बैंक 693, ओरियण्टल बैंक ऑफ कॉमर्स 240, इलाहाबाद बैंक 191 एवं उत्तरांचल ग्रामीण बैंक ने 133 लाभार्थियों को ऋण प्रदान किए हैं।

प्रदेश की महत्वाकांक्षी **अटल आदर्श ग्राम योजना** के अंतर्गत 260 गाँव में से 54 गाँवों के निवासियों तक बैंकिंग सुविधा पहुँचा दी गई है, जिसमें भारतीय स्टेट बैंक ने 15, पंजाब नेशनल बैंक - 2, केनरा बैंक - 5, नैनीताल अल्मोड़ा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक - 5, उत्तरांचल ग्रामीण बैंक - 3 गाँव सम्मिलित हैं। राज्य सहकारी बैंक को 25 आवंटित ग्रामों में से 20 में मिनी बैंक ने कार्य करना आरम्भ कर दिया है। इसी प्रकार **2000 से अधिक जनसंख्या वाले 216 गाँवों** में से 15 गाँवों को बैंकिंग सुविधा से जोड़ा गया है, परंतु यह प्रगति बहुत कम है। इसलिए उन्होंने बैंकों से अनुरोध किया कि बैंकरहित क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन (Financial Inclusion) हेतु राज्य स्तरीय उप-समिति की आगामी बैठक में सार्थक कदम उठाने हेतु उचित निर्णय लें ताकि मार्च, 2012 तक कार्य पूर्ण किया जा सके। उन्होंने सरकार एवं बी.एस.एन.एल. से भी अनुरोध किया कि सभी अटल आदर्श एवं 2000 प्लस ग्रामों में ब्रॉड बैण्ड / जी.पी.आर.एस. सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में त्वरित कार्रवाई करें।

उन्होंने कहा कि एस.एल.बी.सी. की पिछली बैठक में **मुख्यमंत्री जड़ी-बूटी विकास योजना** को बढ़ावा देने हेतु भारतीय स्टेट बैंक और एच.आर.डी.आई. के मध्य एक '' **मैमोरेण्डम ऑफ अण्डरस्टैण्डिंग** '' (MoU) सम्पन्न किया गया था जिस पर शीघ्र ही कार्य प्रारम्भ कर दिया जाएगा। इसके अंतर्गत भारतीय स्टेट बैंक ने चमोली जिले में जड़ी-बूटी के कृषिकरण के इच्छुक कृषकों के साथ गोष्ठी कर 110 कृषकों को जानकारी प्रदान की। इसी क्रम में उद्यान विभाग द्वारा **100 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले '' पॉली हाऊस ''** में संरक्षित खेती करने के लिए, बैंकों द्वारा ऋण प्रदान करने हेतु इच्छुक कृषकों के आवेदन पत्र प्रेषित किए जा रहे हैं। भारतीय स्टेट बैंक ने पॉली हाऊस लगाने के इच्छुक कृषकों को जानकारी प्रदान करने हेतु हरिद्वार एवं विकास नगर, देहरादून में क्रमशः 90 व 100 कृषकों के साथ गोष्ठी कर विचार-विमर्श किया। उद्यान विभाग द्वारा पॉली हाऊस स्थापित करने हेतु तैयार की गई प्रोजेक्ट रिपोर्ट / स्कीम की प्रतियाँ, एस.एल.बी.सी. ने समस्त बैंकों को प्रेषित कर दी हैं।

आगे उन्होंने राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं / कार्यक्रमों के अंतर्गत दिसम्बर, 2010 तक समस्त बैंकों द्वारा की गई प्रगति की समीक्षा करते हुए विशेष रुप से किसान क्रेडिट कार्ड को अधिक से अधिक संख्या में जारी करने पर बल दिया और राज्य सरकार से पुनः आग्रह किया कि जिन जिलों में आरसेटी स्थापित करने हेतु भूमि उपलब्ध / हस्तांतरित नहीं की गई है, वहाँ शीघ्र कार्रवाई करें।

उन्होंने सदन को अवगत कराया कि वित्तीय वर्ष 2010-11 में मानसून अवधि के दौरान हुई अतिवृष्टि से खरीफ की फसलों को हुए अत्याधिक नुकसान के कारण शासनादेश संख्या 1060 / XVIII (2) / 10-14 (1) / 2007 दिनांक 12 सितम्बर, 2010, के अनुक्रम में कृषकों के मुख्य देयों की वसूली स्थगित कर दी गई है। प्राकृतिक आपदा पर निर्गत भारतीय रिजर्व बैंक के मास्टर परिपत्र संख्या RPCD /PLFS /BC 1 / 5402 / 10-11 दिनांक 07 जुलाई, 2010 में दिए गए निर्देशों का अनुपालन करते हुए बैंक खरीफ फसली ऋण 2009-10 को 3 से 5 वर्ष की अवधि के लिए पुर्नसंरचित (Restructure) एवं नवीन ऋणों को वितरित करने पर समुचित कार्रवाई करें। इस आशय की पुष्टि सदन में सर्वसम्मति से की गई।

अंत में उन्होंने सबका धन्यवाद करते हुए अपना संबोधन पूर्ण किया।

श्री राजीव गुप्ता, प्रमुख सचिव एवं आयुक्त (एफ.आर.डी.सी.), उत्तराखंड शासन का संबोधन :

प्रमुख सचिव एवं आयुक्त (एफ.आर.डी.सी.), उत्तराखंड शासन ने पिछली बैठक के कार्य बिंदुओं पर संबंधित विभाग एवं बैंकों द्वारा की गई कार्रवाई की समीक्षा करते हुए कहा कि दिसम्बर, 2010 में राज्य का ऋण-जमा अनुपात 51.75 % है, परंतु अब भी पहाड़ी जिलों का ऋण-जमा अनुपात संतोषजनक नहीं है। उन्होंने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि बैंकों की जिला एवं ब्लाक स्तरीय बैठकों में राज्य सरकार के अधिकारियों की प्रतिभागिता कम रहती है जिससे महत्वपूर्ण निर्णय लेने में विलम्ब होता है।

उन्होंने सदन को अवगत कराया कि बैंकों द्वारा खोले जाने वाले सभी नो-फ्रिल खाताधारकों को किसान क्रेडिट कार्ड / आर्टिजन क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएं जिससे कृषि क्षेत्र में ऋण प्रवाह बढ़ेगा। इसी क्रम में कृषि एवं उद्यान विभाग को निर्देशित किया कि वह अऋणी कृषकों की सूची संबंधित बैंकों को एक माह के अंदर उपलब्ध कराए। साथ ही उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूहों को दिए जाने वाले ऋण की राशि भी बहुत कम है जिसको बढ़ाने की आवश्यकता है।

उन्होंने संबंधित बैंकों को अटल आदर्श एवं 2000 प्लस के अंतर्गत आवटित गाँवों में बैंकिंग सुविधा पहुँचाने हेतु बैंकों को त्वरित गति से कार्य करने पर बल दिया क्योंकि इसकी प्रगति धीमी है। वार्षिक ऋण योजना के अंतर्गत बैंकों द्वारा 63 % की उपलब्धि दर्ज की गई है और अब वर्ष समाप्ति में मात्र एक माह ही शेष है। हम चाहते हैं कि मार्च, 2011 तक सभी बैंक शत प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करें ताकि ऋण प्रवाह में वृद्धि कर ऋण-जमा अनुपात को भी बढ़ाया जा सके।

श्री आलोक कुमार जैन, प्रमुख सचिव (वित्त), उत्तराखंड शासन का संबोधन :

प्रमुख सचिव (वित्त), उत्तराखंड शासन ने अपने संबोधन में कहा कि राज्य का ऋण जमा अनुपात बढने का मुख्य कारक बडे उद्योग एवं निर्माण कार्य के विस्तार है। उन्होंने सदन में उपस्थित बैंक अधिकारियों को स्मरण कराया कि उत्तराखण्ड राज्य की नई औद्योगिक नीति में कुछ बदलाव किया गया है, जिसके अंतर्गत वर्तमान में कार्य कर रही औद्योगिक ईकाइयाँ यदि अपना विस्तार करना चाहती हैं, तो उन्हें विशेष वित्तीय प्रोत्साहन सुविधाऐं उपलब्ध होंगी। अतः बैंक इस क्षेत्र के विकास के लिए उदारतापूर्वक ऋण प्रदान करे।

उन्होंने कहा कि प्रदेश के पहाडी जिलों में आवश्यकतानुसार कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र में ऋण प्रवाह बढाने की दिशा में बैंकों को कार्य करना चाहिए। उन्होनें नाबार्ड एवं अग्रणी जिला प्रबंधकों को निर्देशित किया कि वे मिल कर जिलों के विकास हेतु स्थानीय संभाव्यता का दोहन कर जिला क्रेडिट प्लान बनाऐं और इसके साथ ही यदि किसी सरकार द्वारा प्रायोजित योजना में बदलाव लाने की आवश्यकता हो तो उससे शासन को अवगत कराऐं।

उन्होने सदन में उपस्थित सभी बैंकों को वित्तीय समावेशन से संबंधित अटल आदर्श एवं 2000 से अधिक आबादी वाले गाँव में बैंकिंग सुविधा पहुंचाने की दिशा में त्वरित गति से कार्य करने हेतु आग्रह किया। इसके लिए बैंकों को राष्ट्रीय स्तर के बिजनेस कोरेस्पाण्डेन्ट को अपने साथ अनुबंधित करना पडेगा। उन्होने भारतीय रिजर्व बैंक से कहा कि पर्वतीय राज्य के लिए आबादी के आधार पर वित्तीय समावेशन का मानक व्यवहारिक नहीं है बल्कि यहाँ गाँवों की दूरी के अनुसार मानक निर्धारित करने होंगे।

श्री अमरेन्द्र साहू, क्षेत्रीय निर्देशक, भारतीय रिजर्व बैंक, कानपुर का संबोधन :

भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय निर्देशक ने एस.एल.बी.सी बैठक में पहली बार भाग लेते हुए सदन को अवगत कराया कि उत्तराखण्ड राज्य की विकास दर लगभग 9% है, जो कि राष्ट्रीय विकास दर 8% से अधिक है। इसका मुख्य कारण राज्य में पिछले कुछ वर्षों में नए उद्योगों की स्थापना है। यदि इन बडी औद्योगिक इकाईयों को सम्मिलित नहीं किया जाए तो प्रदेश की विकास दर मात्र 4% ही रह जाएगी। इसी प्रकार प्रदेश का ऋण जमा अनुपात मैदानी जिलों के कारण ही है। बैंकों को चाहिए कि पर्वतीय जिलों में ऋण वितरण का लक्ष्य बढाऐं और स्थानीय ऋण संभाव्यताओं को ध्यान में रखते हुए वार्षिक ऋण योजना बनाऐं। कृषि क्षेत्र के विकास हेतु क्लसटर आधारित योजनाऐं बनाऐं, हालांकि उत्तराखण्ड में उद्यान एवं बागवानी क्षेत्र के 231 क्लसटर की योजना बनाई गई है जो एक अच्छी पहल है। इस पहाडी प्रदेश में कृषि उपजों के भंडारण एवं विपणन की समस्या रहती है, जिसके लिए सरकार एवं बैंक को कान्ट्रेक्ट फार्मिंग को बढावा देना पडेगा।

उन्होंने कहा कि राज्य के सामाजिक सुरक्षा पेंशन, विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति एवं नरेगा के भुगतान हेतु बैंकों में खोले गए खातों में इलैक्ट्रोनिक पेमेंट सिस्टम के माध्यम से राज्य प्रशासन द्वारा राशि का भुगतान नहीं किया जा रहा है। इसके लिए प्रशासन शीघ्र कदम उठाए और बैंकों की कम्प्यूटरीकृत प्रणाली (CBS) में ई.एफ.टी. (Electronic Fund Transfer) द्वारा सीधे लाभार्थियों के खातों में राशि आन लाईन (Online) जमा करने की व्यवस्था करें।

सभा के अंत में **श्री राकेश शर्मा, महाप्रबंधक (नेटवर्क - II), भारतीय स्टेट बैंक, नई दिल्ली** द्वारा बैठक में राज्य सरकार एवं बैंकों से पधारे शीर्ष अधिकारियों का आभार प्रकट किया और सभी बैंकों की ओर से राज्य के समग्र विकास हेतु लिए गए निर्णयों/सुझावों के अनुसार कार्य करने का आश्वसन दिया। उन्होंने राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के संयोजक की ओर से सभी बैंक अधिकारियों को आगामी बैठक हेतु मार्च, 2011 तक के सही एवं पूर्ण आँकड़ों के विवरण दिनांक 20 अप्रैल, 2011 तक राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड को प्रेषित करने हेतु आग्रह किया तथा उपस्थित विशिष्ट अतिथियों, प्रतिभागियों, प्रेस तथा मीडिया के प्रतिनिधियों द्वारा बैठक को सजीव एवं सफल बनाने हेतु धन्यवाद एवं आभार प्रकट किया गया।

****